झारखंड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक 03/11/2015

संख्या :– 12/आ0से0परीक्षा–23–01/2014 का0 9600 /भारत का संविधान के अनुच्छेद – 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल निम्नलिखित नियम बनाते है,

1. *संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार*

   (i) यह नियमावली झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (संशोधन)नियमावली, 2015 कहलाएगी।

   (ii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

2. झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2011 के नियम 10(ख)(4) के रूप में निम्नांकित प्रावधान जोड़ा जाता है :

" झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी कर्मी, जिनकी सेवा 15 वर्ष एवं उससे अधिक की हो चुकी है, राजस्व पर्षद द्वारा ली जाने वाली कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा से विमुक्त होंगें।"

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

र. कुमार 03/11/15
(रतन कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 12/आ0से0परीक्षा–23–01/2014 का0 9600 /राँची, दिनांक 03/11/2015

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, रांची को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।

2. कृपया इसकी 500 (पांच सौ) मुद्रित प्रतियाँ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को तुरंत भेजें।

र. कुमार 03/11/15
सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 12/आ0से0परीक्षा–23–01/2014 का0 9600 /राँची, दिनांक 03/11/ 2015

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखंड, रांची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ महानिबंधक, उच्च न्यायालय, रांची/सचिव, झारखंड विधान सभा/राज्यपाल सचिवालय एवं मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

र. कुमार 03/11/15
सरकार के सचिव